प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.11.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा झगड़े के मुकदमे का वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.11.2025 को वादी श्री शाहनवाज पुत्र अलीहसन नि0 ए-135 विक्रम इंक्लेव गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर वादी के दोस्त पीयूष के साथ एकता पार्क शालीमार गार्डन गाजियाबाद के पास अभियुक्तगण द्वारा मैन बजीराबाद रोड पर गाली-गलौज कर मारपीट कर गाड़ी तोड़ने के संबंध में अन्तर्गत धारा 115(2)/352/351(2)/324(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना मैन बजीराबाद रोड पर होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। रोड पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त सूरज पुत्र उमाशंकर निवासी गली नं0 3 पसौंडा टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को एकता पार्क के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आये कि पीयूष के साथ अभियुक्त और उसके अन्य साथियों का झगड़ा हो गया था जिसमें अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज कर मारपीट कर दी गयी थी तथा गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सूरज पुत्र उमाशंकर निवासी गली नं0 3 पसौंडा टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त के विरूद्ध थाना शालीमार गार्ड़न पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 महिला अभियुक्ता सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

दिनांक 30.09.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर प्राप्त हुई कि वादी की पुत्री की शादी दिनांक 08.02.2025 को विपक्षी ललित निवासी हर्ष विहार दिल्ली से हुई थी, विपक्षी गण (1) ललित (पति) पुत्र संजय कुमार (2) हिमान्शु (देवर) (3) आशीष कुमार उर्फ आशु (देवर) (4) पुष्पलता उर्फ पुष्पा (सास) (5) पूजा (ननद) द्वारा वादी की पुत्री से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग करना तथा मांग पूरी ने होने पर वादी की पुत्री के साथ मारपीट करते हुए तेजाब पिलाकर कर उसे प्रताडित करना, इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 85/115(2)/123/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए, विवेचना की गयी। उपचार के दौरान तेजाब पिलाने के कारण पीडिता की हालत बिगड गयी तथा पीडिता की अस्पताल मे मृत्यु हो गयी। पीडिता की मृत्यु होने के कारण अभियोग मे धारा 80(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियोग मे वांछित अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया।

आज दिनांक 06.11.2025 को पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त गण (1) हिमान्शु (देवर) पुत्र संजय कुमार (2) आशीष कुमार उर्फ आशु (देवर) पुत्र संजय कुमार (3) पुष्पलता उर्फ पुष्पा (सास) पत्नी संजय कुमार (4) पूजा (ननद) पुत्री संजय कुमार निवासी गण डी 257बी गली न0 3 मडौली एक्सटेशन थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल निवासी ग्राम ताजपुर थाना बीबीनगर जिला बुलंदशहर को मुखबीर की सूचना पर विजयनगर बाईपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हमने पीडिता से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग की थी, जब हमारी मांग पूरी नही हुई तो हमने पीडिता को तंग व परेशान करना शुरु कर दिया जिससे पीडिता द्वारा तेजाब पी लिया और हमने उसको अस्पताल मे भर्ती कराया और इलाज के दौरान पीडिता को अस्पताल मे छोडकर वहां से भाग गये, बाद मे हमे पता चला की उपचार के दौरान पीडिता की मृत्यु हो गयी और पुलिस के डर से हम इधर उधर छिपते घूम रहे थे कि आज पुलिस मे हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

(1) हिमान्शु (देवर) पुत्र संजय कुमार हाल निवासी डी 257बी गली न0 3 मडौली एक्सटेशन थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल निवासी ग्राम ताजपुर थाना बीबीनगर जिला बुलंदशहर उम्र 25 वर्ष।

(2) आशीष कुमार उर्फ आशु (देवर) पुत्र संजय कुमार निवासी उपरोक्त उम्र 27 वर्ष ।

(3) पुष्पलता उर्फ पुष्पा (सास) पत्नी संजय कुमार निवासी उपरोक्त उम्र 53।

(4) पूजा (ननद) पुत्री संजय कुमार निवासी उपरोक्त उम्र 29 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता–

ललित (पति) पुत्र संजय कुमार हाल निवासी डी 257बी गली न0 3 मडौली एक्सटेशन थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल निवासी ग्राम ताजपुर थाना बीबीनगर जिला बुलंदशहर।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपाराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस उपायुक्त- यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त- यातायात के पर्यवेक्षण में आज दिनांक **06 नवम्बर 2025** को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाने तथा आमजन को निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से **अतिक्रमण** के विरूद्ध अभियान चलाया गया।

यह अभियान **यातायात पुलिस, नगर निगम गाजियाबाद/ नगर पालिका परिषद लोनी एवं स्थानीय थाना पुलिस** की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। अभियान के दौरान **मालीवाड़ा चौराहा से दिल्ली जूस कॉर्नर (रमते राम रोड)**, **वैशाली सेक्टर -3 एवं लोनी तिराहा से गाजियाबाद आने वाले मार्ग पर** सड़कों, फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गए स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों को हटवाया गया। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर मौजूद **दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों एवं स्थानीय नागरिकों** को भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने हेतु सचेत करते हुए अवगत कराया गया कि अतिक्रमण यातायात बाधित करने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ाता है। शहर को पूर्ण रूप से **अतिक्रमण मुक्त एवं यातायात व्यवस्थित** बनाने की दिशा में यह कार्यवाही **प्रत्येक गुरूवार को नियमित रूप से** जारी रहेगी।

इस अभियान में **यातायात पुलिस से यातायात निरीक्षक गण, नगर निगम गाजियाबाद/नगर पालिका परिषद लोनी एवं स्थानीय थाना पुलिस** के अधिकारी एवं कर्मचारी गण सक्रिय रूप से उपस्थित रहे तथा शांतिपूर्ण ढंग से अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

अपील:-

यातायात पुलिस गाजियाबाद समस्त आमजनों से अपील करती है, कि सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा सुगम आवागमन बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।

यातायात माह के अंतर्गत
जागरूकता एवं प्रवर्तन की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश एवं यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त- यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त- यातायात के पर्यवेक्षण में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में आमजनों, वाहन चालकों एवं छात्र/छात्राओं को जागरूक करने तथा

यातायात नियमों का पालन कराये जाने हेतु दिनांक 01.11.2025 से 30.11.2025 तक यातायात माह मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में यातायात माह के दौरान दिनांक 01.11.2025 से 06.11.2025 तक गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी यातायात प्रवर्तन अभियान (Traffic Enforcement Drive), जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programme) चलाये गए हैं। इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा आमजनों/ऑटो चालकों /छात्र/ छात्राओं को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवधि में यातायात पुलिस द्वारा कुल 32 स्कूल/कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 10,250 छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जा चुका है।

प्रवर्तन की कार्यवाही –

- बिना हेलमेट कुल 7,910 वाहनों के चालान
- बिना सीट बेल्ट कुल 264 वाहनों के चालान
- मोबाइल फोन प्रयोग कुल 381 वाहनों के चालान
- रॉंग साइड कुल 1908 वाहनों के चालान
- तीन सवारी कुल 576 वाहनों के चालान
- काली फ़िल्म कुल 334 वाहनों के चालान
- बिना बीमा कुल 142 वाहनों के चालान
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र कुल 116 वाहनों के चालान
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस कुल 232 वाहनों के चालान
- हूटर सायरन/ प्रेशर हॉर्न कुल 163 वाहनों के चालान
- जाति सूचक शब्द कुल 228 वाहनों के चालान
- नो पार्किंग कुल 4,669 वाहनों के चालान

यातायात माह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अपील :-

यातायात पुलिस सभी आमजनों से अपील करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें एवं गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाये जाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें।

यातायात पुलिस गाजियाबाद सदैव सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिये प्रतिबद्ध है।